



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक-15.11.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 165/24 धारा 304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से छीनी हुई 02 चैन (पीली धातु) बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.11.2024 को श्री अतुल कुमार पुत्र सतेन्द्र कुमार निवासी सरिन फार्म सोसाईटी थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्ता द्वारा दिनांक 31.10.24 को समय करीब 9.45 बजे



पुरामहादेव मन्दिर के गर्भ ग्रह में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय उसकी पत्नी व बहन दोनों के गले में पहनी हुई सोने की चैन को झपट्टा मारकर खींच लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं बांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 165/24 धारा 304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक

अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से छीनी हुई 02 चैन (पीली धातु) बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-


- एक महिला।

### बरामदगी का विवरण-

- छीनी हुई 02 चैन (पीली धातु)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-म0उ0नि0 अंजली थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4-का0 418 परमजीत थाना बालैनी जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 15.11.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 266/2024 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 14.11.2024 को वादी श्री धर्मवीर सिंह पुत्र मुन्शी निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. अनुज उर्फ काला, 2. सचिन पुत्रगण नरेश व 3. नरेश पुत्र



रामरिक निवासीगण ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया तथा गोली अमित पुत्र किरण सिंह निवासी खिवाई थाना सरुरपुर खुर्द जनपद मेरठ के जाकर लग गयी, जिससे अमित गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 266/24 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 266/24 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त

को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नरेश पाल सिंह पुत्र रामरिक निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-है0का0 15 यशविन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-का0 303 ऋषभ कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

